संख्या-610/2017/1160/22-2-2017-17(281)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसूरत यादव पुत्र श्री स्वामी यादव, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामसूरत यादव पुत्र श्री स्वामी यादव, ग्राम-रमना, थाना-भिन्गा कोतवाली, जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 16.03.1994 को सांय काल के समय जयराम पाण्डेय के घर में घुसकर उनकी 13 वर्षीय पुत्री कमली के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर बन्दी ने कुल्हाडी से मारकर अत्यन्त निर्दयता से कमली की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376, 511 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालधीश, बहराइच के आदेश दिनांक 24.04.1996 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.12.1996 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.02.2017 तक 22 वर्ष 11 माह 05 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 08 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी तथा आयु 46 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 16.03.1994 को सांय काल के समय जय राम पाण्डेय के घर में घुसकर उनकी 13 वर्षीय पुत्री कमली के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर बन्दी ने कुल्हाडी से मारकर अत्यन्त निर्दयता से कमली की हत्या दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामसूरत यादव पुत्र श्री स्वामी यादव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामसूरत यादव (बन्दी संख्या-3031/96) पुत्र श्री स्वामी यादव, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-610/2017/1160/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।